जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स भारत माईनरिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड, एम एल नम्बर 06/2024 (रेफरेन्स नम्बर 202410000109412) की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.9186 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 925000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1110/166, 1111/166, 168, 169, 170 एवं 172 निकट ग्राम नीमोद तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 24.04.2026 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 925 दिनांक 06.03.2026 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 24.04.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, खादरा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/925 दिनांक 06.03.2026 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–सीकर/एसआईके– पीएच–042/3378–3388 दिनांक 10.03.2026 के अनुपालना में मैसर्स भारत माईनरिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड, एम एल नम्बर 06/2024 (रेफरेन्स नम्बर 202410000109412) की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.9186 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 925000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1110/166, 1111/166, 168, 169, 170 एवं 172 निकट ग्राम नीमोद तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की क्लस्टर मय खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर

Danita

अति॰ जिला कलक्टर, नीमकाथाना

(राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 24.04.2026 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **दैनिक उद्योग आस–पास** के संस्करण में दिनांक 19.03.2026 एवं **दी इण्डियन एक्सप्रेस** के संस्करण में दिनांक 19.03.2026 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स कोगनिटीव सस्टेनेबल सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री शाहिल कुमार के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाए की जायेगी।

श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई

Danita

अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना

आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :–

1. श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी खादरा ने बताया कि भारी वाहन/डम्पर चलने सड़क/गांव के रास्तों से धूल उड़ती है, जिस पर समय – समय पर पानी का छिड़काव किया जाये।
2. श्री नागर मल सैनी, निवासी खादरा ने बताया कि पेड़–पौधे कहां लगाये जायेगें।
   तत्पश्चात् इकाई प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्र एवं सड़क के किनारों पर पेड़–पौधे लगाये जायेगें।
3. श्री हरेन्द्र सिंह, निवासी खादरा ने बताया कि स्थानीय लोगों को क्या रोजगार दिया जायेगा। तत्पश्चात् इकाई प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जब खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा वहां पर आवश्यकतानुसार स्थानीय लोगों को
4. श्री जगदीश प्रसाद सैनी, निवासी खादरा ने बताया कि ऑवर लोडेड भारी वाहन/डम्पर इन सड़कों पर चलने की अनुमति है या नहीं।
   तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना ने सभी ग्रामवासियों को सुझाव दिये कि यह जन सुनवाई प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए की गई है जिसमें आपके द्वारा जो भी सुझाव/आपत्ति लिखित एवं मौखित रूप से प्राप्त होती है तो उन्हें रिपोर्ट में शामिल कर अग्रीम कार्यवाही हेतु आगे भेजा जायेगा। नीमकाथाना क्षेत्र एक सामूहिक खनन क्षेत्र है जहां पर 03–04 बिन्दूओं को लेकर परेशानियां बनी रहती है। खनन कार्य विभाग द्वारा जारी निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जाये एवं ओवर लोडेड वाहन चलने की अनुमति नहीं है तथा सड़क बिना ओवर लोडेड वाहनों के न चलने से भी टूट रही है जिनका समय–समय पर रख–रखाव की किया जाना चाहिए। खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग अकुशल लोगों के द्वारा की जाती है जो कि समय पर सूचना नहीं देते है एवं ना ही समय निर्धारित रहता है। इसके लिए ब्लास्टिंग निर्धारित समय पर ही की जाये जिससे पशुधन एवं अन्य नुकसान नही हो। खनन पट्टाधारियों द्वारा पेड़–पौधें नहीं लगाये जा रहे है इसके लिए वृक्षाऋतु आने से पहले ही पेड–पौधें लगाने की तैयारियां की जाये तथा पेड़–पौधे लगाने के साथ–साथ उनका संरक्षण करें। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायें तथा उनकी शैक्षिणक योग्यता/कार्यकुशलता के आधार पर भी प्राथमिकता दी जाये। खनन क्षेत्र को सुरक्षित करें तथा खनन क्षेत्र के चारो ओर तारबन्दी एवं पिलर लगाये जायें जिससे

Danita

अति० जिला कलक्टर, नीमकाथाना

पशुधन/अन्य दुर्घटना की आशंका नही रहेगी। खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को उपयुक्त सुरक्षा उपकरण (जैसे माक्स, हेल्मेट, जूते इत्यादि) उपलब्ध करवायें। सीएसआर फण्ड से खर्चा स्थानीय आवश्यकतानुसार जैसे लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लेब, इत्यादि में खर्च करें। खनन कार्य से खनन क्षेत्र के आस–पास के लोगों को असुविधाऐं होती है तो स्थानीय लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जायें।

सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित लिखित में 01 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई।

अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

Savita 29/04/26

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नीमकाथाना, जिला सीकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीम का थाना (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स भारत रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड, एम. एल. नम्बर 06/2024 (रेफेरेन्स नम्बर 202410000109412), क्षेत्रफल 3.9186 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 925000 टनप्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1110/166, 1111/166, 168, 169, 170 एवं 172 निकट ग्राम निमोद तहसील – नीमकाथाना एवं जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 925 दिनांक 06.03.2026 के द्वारा उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **24.04.2026 (शुक्रवार)** को **प्रातः 11:30 बजे**, स्थान– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, खादरा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– **, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, खादरा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर ।**

दिनांक :– **24.04.2026**

समय :– दोपहर 11:30 बजे (शुक्रवार)

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	Bhagirath Shakh ADM NKT	[signature]
2.	Savita, RO, RSPCB	Savita
3.	Shankar Lal Jat	Shankar
4.	साहिल कुमार – Asst. Margarsustainable Cognitive Soloutions Pvt. LTD.	Sahil Kumar
5.	Vikram Singh	[signature]
6.	HIMMAT SINGH	Himmat Singh
7.	मनदलाल	[signature]
8	जितेन्द्रसिंह	[signature]
9,	Nirwas Singh	[signature]
10,	मातीराम सैनी	मातीराम सैनी
11,	राजू सैनी	[signature]

12.	AKASH KUMAR	[signature]
13.	हेमन्त सिंह	[signature]
14.	महेन्द्र सैनी	[signature]
15.	[illegible]	[signature]
16.	तारा [illegible]	तारा[illegible]
17.	[illegible] सिंह नागर सैनी	[signature]
18.	[illegible] सैनी	[signature]
19.	[illegible]	[illegible]
20.	जीवराज सिंह	जीवराज सिंह
21.	फूलचन्द सैनी	फूलचन्द सैनी
22.	राजेन्द्र कुमार सैनी	राजेन्द्र
23.	गिरधारी लाल सैनी	गिरधारी
24.	सुनील [illegible] [illegible]	सुनील [illegible]
25.	श्री चन्द्र सैनी [illegible]	[thumb impression]
26.	रामौतार सैनी स्वाद्रा	[signature]
27.	कमलेश सैनी स्वादरा	[signature]
28.	जगदीश प्रसाद सैनी	[signature]
29.		[signature]
30.	महावीर सिंह	[signature]
31	राजेन्द्र [illegible] सरपंच प्रतिनिधि	[signature]

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल / अतिरिक्त जिला कलेक्टर,

नीमकाथाना जिला सीकर राज.

विषय: खनन पट्टे (Mining Lease).की स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में प्रदूषण एवं सुरक्षा संबंधी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र खसरा नंबर 1110/166,1111/166,168,169,170,172 ग्राम निमोद तहसील नीमकाथाना के संबंध में आयोजित जनसुनवाई में अपनी लिखित निम्न आपत्ति दर्ज कराते हैं। इस खनन पट्टे की स्वीकृति निम्नलिखित कारणों से जनहित, पर्यावरण और सुरक्षा के विरुद्ध है:

1- **स्टेट हाईवे (State Highway) से निकटता:** प्रस्तावित खनन क्षेत्र राजकीय राजमार्ग (State Highway) के बिल्कुल समीप है। भारी वाहनों के आवागमन और धूल के गुबार से सड़क पर दृश्यता (visibility) कम होगी, जिससे गंभीर दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहेगा। नियमों के अनुसार मुख्य मार्ग से निर्धारित 250-500 मीटर दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में Rajasthan Minor Mineral Concession Rules (RMMCR) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ब्लास्टिंग वाले खनन पट्टे की बाहरी सीमा स्टेट हाईवे (State Highway) के किनारे से कम से कम 250 मीटर दूर होनी चाहिएजो किसी भी कदर नही है इसलिये खनन पट्टे की स्वीकृति दिया जाना कानून के विरुद्ध है।

2- **प्रदूषण प्रबंधन का अभाव:** आवेदक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की गई है। खनन गतिविधियों से उड़ने वाली धूल और मलबे से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे आसपास के खेतों की उपजाऊ शक्ति नष्ट होगी और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा धुल के कारण सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से झुझना पड़ेगा जिससे आस पास के लोगो का जीवन नरक हो जायेगा।

Ramkumar

3- **घनी आबादी के नजदीक:** प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास घनी आबादी (मानव बस्ती) है। खनन से होने वाला शोर और धूल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यह रिहायशी क्षेत्र के लिए साइलेंस ज़ोन और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन है।इसलिये बच्चो के भविष्य व आमजन के स्वास्थ्य को देखते हुये किसी भी कदर स्वीकृति दिया जाना उचित नही है।

4- **भारी ब्लास्टिंग (Heavy Blasting) का खतरा:** खनन के दौरान की जाने वाली भारी ब्लास्टिंग से आसपास के मकानों में दरारें आने और उनके गिरने का खतरा है। ब्लास्टिंग से होने वाले कंपन (Vibration) और पत्थरों के उछलने से जान-माल की हानि की पूरी आशंका है।

5- **पर्यावरण असंतुलन:** इस क्षेत्र में जल स्तर पहले से ही चिंताजनक है। खनन गतिविधियों से भू-जल प्रदूषित होगा और प्राकृतिक जल स्रोत सूख सकते हैं।

6- **विकास राशी का नही दिया जाना - 1% हिस्सा (Royalty Share):** राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार, किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में होने वाले खनन से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय (Net Income) का 1% हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए दिया जाता है।जो नही दिया जाता है जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व का नुकसान होता है।

7- **खनन क्षतिपूर्ति (Mining Compensation):** खनन गतिविधियों के कारण गांव के आधारभूत ढांचे (जैसे सड़कें, धूल से नुकसान आदि) को जो क्षति पहुँचती है, उसकी भरपाई किया जाना और विकास कार्य करवाया जाना किसी भी कदर सम्भव नही है।

अतः आपत्ति पेश कर निवेदन है कि भूमि खसरा नंबर 1110/166,1111/166,168,169,170,172 ग्राम निमोद तहसील नीमकाथाना में फर्म मैसर्स श्री भारत माइनरिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड को खनन पट्टे की स्वीकृति नहीं दिया जाना सदर प्रार्थनीय है

प्रार्थी

दिनांक 24/04/2026

राजू सैनी पुत्र श्री जय नारायण सैनी जाति माली निवासी ढाणी नया कुआ पोस्ट निमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
राज.मो. 9680741765

र पुत्र श्री जयसिंह,
निवासी वार्ड नं. 11,
ल्ला, बगड़, तहसील
जिला-झुंझुनूं

ायित्वों
ाधार

जबूती मिलेगी। उन्होंने
ा की एकजुटता और
सक्रियता ही भाजपा
ताकत है। कार्यक्रम
कार्यकर्ता और
जूद रहे। इनमें ताराचंद
रेगर, रोहित परिहार,
म, जिला मंत्री नितेश,
के विधिक सलाहकार
न्द सिंह सहित अन्य
ने भाग लिया।

INI
office Road,
il.com

सिंह राठौड़ पुत्र श्रवण सिंह
पिता श्रवण सिंह पुत्र शोभ
मेरे अभिभाष्य के पिता के
पिपराली रोड़, उदयपुरवाटी
आ रही है। मेरे अभिभाष्य
वारिसान 1-कमला देवी
वर पुत्री श्रवण सिंह ने मेरे
अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये
मेरे अभिभाष्य के पक्ष में
पट्टेशुदा आवासीय सम्पदा
वासीय सम्पदा के हक के
दिवस में मेरे कार्यालय में
कुमार सैनी, एडवोकेट

CHAYAT
LAN P.S.
R
ATE:-18.03.2026

KARYA KHEL
ADKHANI, AND
O KI DHANI SE
MAN KARYA,
d from interested
other particulars of
nent portal (http://
in) of the state

WSOB00410
VDO
ANWALODA
HAYALAN

111 कुल रकबा 2.1525 हैक्टर व खसरा नम्बर 211/113 कुल रकबा 0.06 हैक्टर में इस आशय का नक्शा दुरूस्ती शुद्धी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस बाबत आपको कोई हक उज हो तो सुनवाई हेतु निश्चित दिनांक 8/4/2026 को उपस्थित हो अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अत: यह सूचना निम्न हस्ताक्षकर्ता के मय सील मोहर के दिनांक 6/3/2026 को जारी की गई।

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

कार्यालय नगरपालिका विद्या विहार पिलानी (राज.)

क्रमांक :-न0पा0वि0वि0/3661 दिनांक :- 13.03.2026

निविदा सूचना

नगर पालिका विद्या विहार द्वारा नगर पालिका में विभिन्न कार्य हेतु उपयुक्त सक्षम श्रेणी के केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मस http://sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ऑफलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण निम्न विवरणानुसार इंटरनेट साईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ पर भी देखी जा सकती है।

NIT NO.	Tender NIB Number	Tender UBN Number
MBVV/ 2025-26/18	DLB2526B2995	(DLB2526SSOB38683) (DLB2526WSOB38684) (DLB2526WSOB38685) (DLB2526WSOB38686) (DLB2526WSOB38687) (DLB2526WSOB38688) (DLB2526WSOB38689) (DLB2526WSOB38690) (DLB2526WSOB38691) (DLB2526WSOB38692) (DLB2526WSOB38693) (DLB2526WSOB38695) (DLB2526WSOB38697) (DLB2526WSOB38699) (DLB2526WSOB38700) (DLB2526WSOB38704) (DLB2526WSOB38706)

अधिशाषी अधिकारी
राज.संवाद/सी/25/22832 नगर पालिका विद्या विहार, पिलानी

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

RPCB/RO Sikar SIK-PH-042/ Date: __03.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषय: मैसर्स भारत माइन्स रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड, एम एल नम्बर 06/2024 (रिफरेन्स नम्बर 2024100000109412), खसरा नम्बर 1110/166, 1111/166, 168, 169, 170 एवं 172, निकट ग्राम नियोद, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

4. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स भारत माइन्स रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जोकि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 13.48265 हेक्टेयर, एम एल नम्बर 06/2024 रिफरेन्स नम्बर 2024100000109412), खसरा नम्बर 1110/166, 1111/166, 168, 169, 170 एवं 172, निकट ग्राम नियोद, तहसील - नीमकाथाना एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

5. और चूंकि मैसर्स भारत माइन्स रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

6. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

xi. जिला कलेक्टर, सीकर।
xii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर।
xiii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
XIV. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
XV. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
xvi. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
xvii. ग्राम पंचायत, खादरा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
xviii. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम खादरा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
xix. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xx. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 925 दिनांक 06.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 24.04.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम खादरा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निदेशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

हस्ता./-
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

नाम संशोधन सूचना

मेरी पुत्री का विद्यालय में प्रवेश दिलवाते समय उसका नाम सहवन से स्वीटा कुमावत (SWEETA KUMAWAT) अंकित हो गया, जो कि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का सही नाम श्वेता प्रजापत (SHWETA PRAJAPAT) है जो आधार कार्ड आदि में दर्ज है। अत: मेरी पुत्री का विद्यालय रिकार्ड में सही नाम श्वेता प्रजापत (SHWETA PRAJAPAT) दर्ज किया जाये।

पोखर मल पुत्र अर्जुन लाल जाति कुमावत, निवासी-वार्ड नं. 18 मोचियों का मोहल्ला, रामगढ़ शेखावाटी तह फतेहपुर, जिला सीकर (राज)

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम दीपक (DEEPAK) से बदलकर दीपक कुमार (DEEPAK KUMAR) रख लिया है। अत: भविष्य में मुझे मेरे नए नाम दीपक कुमार (DEEPAK KUMAR) के नाम से जाना पहचाना जावे।

दीपक कुमार पुत्र मनीराम जाती नायक निवासी इक्तावरपुरा तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं राजस्थान

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)
सांवली रोड, सीकर-332001, फ. नं. 01572-274094,
email: dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com

क्रमांक: एफ ( ) भण्डार/उवसंसी/2025-26/4161 दिनांक: 11.03.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

राजकीय निर्माण विभागों में सिविल कार्य हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मो को सूचित किया जाता है कि इस वन मण्डल के अधीनस्थ वन क्षेत्र में निम्नानुसार कार्य करवाया जाना है। जिसके लिए सीलबंद लिफाफों में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 11.03.2026 दोपहर 11.30 बजे से दिनांक 20.03.2026 दोपहर 11.00 बजे तक कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर से क्रय किये जा सकते है। समस्त दस्तावेज दिनांक 20.03.2026 को दोपहर 1.00 बजे कार्यालय में जमा करवाने होंगे। प्राप्त निविदाएं उसी दिन सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र.सं.	निविदा संख्या	नाम कार्य	स्थान जहां कार्य करवाया जाना	अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क (रुपये में)
1	135/2025-26	Repair and Maintenance of Existing office & Residential Building	कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर	3.70	7,500	500/-
UBN:-FOR2526WSOB06214						

DIPR/C/5384/2026 उप वन संरक्षक, सीकर

कार्यालय ग्राम पंचायत आनन्दपुरा
पंचायत समिति कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

क्रमांक -ग्राप/ लेखा/144 दिनांक -16/03/2026

ई-निविदा सूचना 02/2026-27

ग्राम पंचायत आनन्दपुरा पंचायत समिति कुचामन सिटी के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्राम पंचायत की समस्त योजनाओं में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु सक्षम श्रेणी के संवेदकों व विनिर्माताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण बेब पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व www. eproc. rajasthan. gov. in पर देखा जा सकता है। निविदाएं निर्धारित दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।

NIB NO. PKV2526A0195
UBN No. PKV2526GWSOB00190

ग्राम विकास अधिकारी	प्रशासक
ग्राम पंचायत आनन्दपुरा	ग्राम पंचायत आनन्दपुरा
पंचायत समिति कुचामन सिटी	पंचायत समिति कुचामन सिटी

कार्यालय ग्राम पंचायत खोरण्डी
पंचायत समिति कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

क्रमांक -ग्राप/ लेखा/77 दिनांक -18/03/2026

ई-निविदा सूचना 06/2026-27

ग्राम पंचायत खोरण्डी पंचायत समिति कुचामन सिटी के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्राम पंचायत में महानरेगा व अन्य योजनाओं में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु सक्षम श्रेणी के संवेदकों व विनिर्माताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण बेब पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व www. eproc. rajasthan. gov. in पर देखा जा सकता है। निविदाएं निर्धारित दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।

NIB NO. PKV2526A0198
UBN No. PKV2526GLOB00192

ग्राम विकास अधिकारी	प्रशासक
ग्राम पंचायत खोरण्डी	ग्राम पंचायत खोरण्डी
पंचायत समिति कुचामन सिटी	पंचायत समिति कुचामन सिटी

NAME CHANGE

I, RUPESHWARI SONOWAL is legally Mother of No. 15787732H, Rank HAV, Name LUHIT SONOWAL, R/o Vill. Kalari Gone Post Kadam, Tehsil Boginadi, Dist. North Lakhimpur Assam 787032. I have change my name **RUPA SONOWAL** to **RUPESHWARI SONOWAL**. That both names **RUPA SONOWAL** And **RUPESHWARI SONOWAL** pertain to one and the same person. Now I should be known and identified by the name **RUPESHWARI SONOWAL** only.

CHANGE OF NAME

I, ANNU spouse of No. 14862374W Rank- SEP/MT, Name- Pardeep Kumar R/o Vill.- Mandoli, PO- Kaliyana, Teh.- Charkhi Dadri, Distt.- Charkhi Dadri (Haryana)- 127306 have changed my name from **ASHMA** to **ANNU**. Vide Affidavit CC 805565 and dated 16.03.2026

WIZZMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED

(formerly Unimoni Financial Services Limited)

RO: N.G. 12 & 13 Ground Floor, North Block, Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore - 560 042. CIN No. U85110KA1995PLC018175

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted by WIZZMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED (formerly Unimoni Financial Services Limited) on **23.03.2026** at 10:00 am at the respective centers given below. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various Customers who have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly issued to these borrowers. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various Customers mentioned below with branch name.

Auction Centre Address & Loan Nos: SIKAR (SIK - NO.2 , FIRST FLOOR , PAWANMARKET, OPP SANSKRIT COLLEGE STATION ROAD, Contact: 9829270318) 2227570, 2233703.

(Reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &/ postpone / cancel the auction without any prior notice)

Public ...
Ishaji S... applied ... Sagwar... mortgag... the lease... S/o Mod... lease de... 03.12.1... 26.10.1... No. 7, M... Road,T... any pe... docume... Sagwar... publicat...

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LIFE

RPCB/RO Sikar SIK-PH-043/ **Date: 05.03.2026**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषयः मैसर्स टपकेश्वर माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम एल नम्बर 14/2021 (रफरेन्स नम्बर 2021000047324), खसरा नम्बर 630. 631 632 633, 634, 635, 636 एवं 637, निकट ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स टपकेश्वर माईन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जोकि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 11.1365 हेक्टयेर, एम एल नम्बर 14/2021 (रफरेन्स नम्बर 2021000047324), खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 एवं 637. निकट ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स टपकेश्वर माईन्स एण्ड मिनरल्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है-

i. जिला कलेक्टर, सीकर।
ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii. ग्राम पंचायत, टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
viii. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
ix. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
x. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 897 दिनांक 05.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 21.04.2026 (मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निदेशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगीं तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

हस्ता./-
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

ICICI Home Finance | Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex (East), Mumbai- 400051

Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 40005
Branch Office: 1st Floor, Shop No. 91-92, New Cloth Market, Sri Ganganagar, Rajasthan- 33500

Whereas
The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under th Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exerci conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002 notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within date of receipt of the said notice.
As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the publi the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of pow him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-ment borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited.
The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Loan Account Number	Description of property/ Date of Possession	Date of D Notice/ Am Demand No
1.	Saruk. (Borrower), Sona. (Co-Borrower), Ward No. 22 Bihani Marg 1 Nhr A, Nohar Hanumangarh Nohar Hanumangarh Nohar Nohar Rajasthan- 335523. LHGAN00001547275.	Owner Saruk Ward No. 22 Tegor Chowk Road Na Nohar Rajasthan- 335523. Bounded By- North: 16 Ft 6 Inch Om Prakash, South: 15 Ft 9 Inch Rem. Part of Plot, East: 6 Ft 3 Inch Rem. Part of Plot, West: 8 Ft 6 Inch Road./ Date of Possession- 16-Mar-26	11-12- Rs 16,20,

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, a under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date : March 19, 2026
Place: Nohar

ICICI Home Finance

PUBLIC NOTICE

(Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. ISLAMUDDIN KAGZI DEBTOR /PERSONAL GUARANTOR TO CORPORATE DEBTOR, SANGA BUILDERS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	**Name of Debtor/Personal Guarantor**	**Mr. Islamuddin Kagzi**
2.	Address of the Debtor/Personal Guarantor	79, Kagzi Mohalla, Sanganer, Jaipur, Rajasthan- 302029
3.	Details of order and Insolvency commencement date in respect of Debtors/ Personal Guarantors to Corporate Debtor	RCP (IB) No. 4/95/JPR/2025, order dated 17.03.2026 Insolvency Commencement Date - 17.03.2026
4.	Name and registration number of the Insolvency Professional acting as Resolution Professional	**Rishabh Chand Lodha** **Regn No.:** IBBI/IPA-001/IP-P01075/2017-2018/11766 **AFA Valid Upto** : 31.12.2026
5.	Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board	E-5, Basant Vihar, Bhilwara, Rajasthan- 311001 **Email :** rishabhlodha57@gmail.com
6.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Professional	E-5, Basant Vihar, Bhilwara, Rajasthan- 311001 **Email :** pg.sangabuilders@gmail.com
7.	Last date for submission of claims	**08.04.2026**
8.	Relevant Forms in which claim to be filed available at :	**"FORM B"** **Web link:** https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Jaipur Bench, vide its order dated **17.03.2026 in RCP (IB) No. 4/95/JPR/2025**, has ordered the commencement of an Insolvency Resolution Process of **Mr. Islamuddin Kagzi, Debtor /Personal Guarantor to Corporate Debtor, namely Sanga Builders Private Limited.**

The creditors of **Mr. Islamuddin Kagzi**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **08.04.2026** to the Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 6.

The creditors shall submit their claims with proof by electronic means or with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Rishabh Chand Lodha
Regn. No. IBBI/IPA-001/IP-P01075/2017-2018/11766
Resolution Professional of Mr. Islamuddin Kagzi, PG to CD, Sanga Builders Private Limited

Date :19.03.2026
Place : Bhilwara

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LIFE

RPCB/RO Sikar SIK-PH-042/ **Date: __03.2026**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषयः मैसर्स भारत माइन रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड, एम एल नम्बर 06/2024 (रेफरेन्स नम्बर 202410000109412), खसरा नम्बर 1110/166, 1111/166, 168, 169, 170 एवं 172, निकट ग्राम निमोद, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

4. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स भारत माइन रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जोकि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 13.48265 हेक्टयेर, एम एल नम्बर 06/2024 रिफरेन्स नम्बर 202410000109412), खसरा नम्बर 1110/166, 1111/166, 168, 169, 170 एवं 172, निकट ग्राम निमोद, तहसील – नीमकाथाना एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
5. और चूंकि मैसर्स भारत माइन रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09. 2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
6. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

xi. जिला कलेक्टर, सीकर।
xii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर।
xili. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
XIV. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
XV. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
xvi. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
xvii. ग्राम पंचायत, खादरा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
xviii. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम खादरा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
xix. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xx. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 925 दिनांक 06.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 24.04.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम खादरा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निदेशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

हस्ता./-
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

IDF... (erstw... preser... CIN : L... Harring...
Not...
The foll... Limited... IDFC ... secure... conditi... per the... amalg... as per... said a... their r...
Sr No. | 1 | 4...
NAM... PROF... 01/20... PANC... BY: E... SOUT...
Sr No. | 2 | 4...
NAM...

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

CAPRI GLOBAL

Registered & Corporate Office:- 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg,